न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 23/2013
प्रकरण दर्ज तिथि :— 15.02.2013
जीसीएमएस नम्बर :— 2013/00063

अनवान
गणपतलाल वगैरह बनाम बालूराम वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी
उपस्थित 1 श्री प्रकाशचन्द चौहान एवं श्रीमती दुर्गा चौहान वगैरह अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
2 प्रतिवादी अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ,श्री डूंगरसिंह राठौड वगैरह एवं श्री अनुराग रिणवा, श्री विरेन्द्र सैन, श्री जसवंत सिंह सांखला, श्री भवानी सिंह सोलंकी उपस्थित

आदेश **दिनांकः 11.02.2025**

प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री भूपैन्द सैन ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का पेश किया हैं, जो संलग्न पत्रावली किया गया, प्रति अधिवक्तागण को दी गई । उक्त प्रार्थना पत्र में बताया कि वादीगण में वाद बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को पेश किया जो विचाराधीन हैं। प्रतिवादी संख्या 02 व 14 द्वारा जो काउण्टर क्लेम पेश किया गया जो विधि द्वारा वर्जित हैं। उक्त वाद आदेश 08 नियम 06 सीपीसी की परिधि में नहीं आता हैं। प्रतिवादी प्रतिवादी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिवाद पत्र या काउंटर क्लेम कानूनी रूप से पेश करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी प्रतिवादी के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता हैं। इसीलिए प्रतिवादी संख्या 02 व 14 का प्रतिवाद पत्र काउण्टर क्लेम भारी कोष्ट के साथ खारिज किया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रतिवादी संख्या 02 व 14 के कायम मुकाम की ओर से जबाव प्राप्त हुआ हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। प्रति अधिवक्तागण को दी गई।

प्रस्तुत जबाव में वादीगण में वाद बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को पेश किया जो विचाराधीन हैं। काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा सकता हैं। उक्त वाद के विरूद्ध गलत खातेदारी दर्ज थी। जिसको काउण्टर क्लेम के जरिये अनुतोष मांगा हैं, जो मांगने को पूर्ण अधिकार प्रतिवादी संख्या 02 व 14 को था। काउण्टर क्लेम वादीगण व प्रतिवादीगण के विरूद्ध मांगा हैं जो अधिकार प्रतिवादी संख्या 02 व 14 को हैं जिसका उल्लेख विशेष विवरण में किया जाएगा। ऐसा कोई कानूनी बिन्दु प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम के पास नहीं हैं जो बरवक्त बहस अर्ज किए जाएगे। विशेष विवरण यह हैं

गुलाब सिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

कि वादग्रस्त भूमि धूलारामजी की थी, जिनके चार पुत्र मंगलाराम, भोलाराम, बालूराम व घेवरराम थे, जबकि धुलाराम जी के वाद भूमि मात्र तीन भाईयों के नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई जो मंगलाराम, भोलाराम व बालूराम के दर्ज हुई। घेवरराम की पुत्री का कोई नाम अंकित नहीं किया। वादीगण व बकाया प्रतिवादीगण ने मिलीभगती कर भूमि का बंटवारे का दावा पेश कर दिया जबकि उनको भलीभांती जानकारी थी कि 1/4 हिस्सा धुलाराम की भूमि में भंवरीदेवी का हैं। जिसका समर्थन प्रतिवादी 2 ने भी किया कि वादग्रस्त भूमि में जो धूलाराम की थी उसका स्वयं का 1/3 हिस्सा नहीं होकर 1/4 हिस्सा हैं, जब इस वाद में भंवरीदेवी पक्षकार बनी व आदेश 01 नियम 10 सीपीसी आवेदन स्वीकार हुआ जिसका कोई अपील, रिवीजन नही हुई। भंवरीदेवी का अपना नाम व हिस्सा दर्ज कराने बाबत् धारा 88 राजस्थान कृषि जोत अधिनियम 1955 के तहत ही दावा प्रस्तुत करना होता है। जिसको सुनने को श्रीमान को अधिकार हैं। अतः जबाव पेश कर निवेदन हैं कि प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम का आवेदन खर्चे के साथ खारिज किया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष बहस वकुलाय समायत की गई दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्रगत कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी, प्रतिवादी के खिलाफ काउण्टर क्लेम पेश नहीं कर सकते हैं यह विधि द्वारा वर्जित हैं तथा इसीलिए बार्ड बाई लॉ भी हैं। प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 06 सीपीसी को स्वतंत्र वाद के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में किये गये कथनो के अलावा भी दौराने बहस कथन किया कि उक्त नामान्तकरण भरे हुए इतने समय होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई अपील नही की हैं। वादग्रस्त भूमि मे से भूमि खातेदारों द्वारा बेचान किया गया। जिनके इन रजिस्टर्ड दस्तोवजों को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा चुनौती नही दी गई और ना ही निरस्त करवाया गया, इस कारण दावा चलने योग्य नही हैं। इसीलिए दावा खारिज किया जावें। साथ ही यह कथन भी किया कि प्रतिवादीगण भंवरीदेवी द्वारा रजिस्टर्ड वारिसान प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किये जाने के कारण काउण्टर क्लेम, प्रतिवादी–प्रतिवादी के विरूद्ध पेश नहीं होने का अधिकार होने के कारण दावा वादी खारिज फरमाया जावें। अतः हमारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा मय काउण्टर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया गया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता एवं उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों का खण्डन भी नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता श्री डूंगर सिंह राठौड ने प्रतिवादी संख्या 02 व 14 के कायम मुकाम की ओर ने प्रार्थना पत्रगत कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मंगलाराम, भोलाराम, बालूराम व घेवरराम चार पुत्र थें अतः हिस्सा 1/4 होना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

लेकिन हिस्सा 1/3 ही हैं इसमें घेवरराम की पुत्री का हिस्सा नही हैं। प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 06 सीपीसी प्रतिवादी के खिलाफ इन्टरप्लीटर सूट माना जाएगा। प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी खारिज किये जाने के आदेश दिये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव दौराने बहस अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता हैं कि प्रतिवादी, प्रतिवादीगण संख्या 02 व 14 के खिलाफ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया हैं जो विधि द्वारा वर्जित हैं। प्रतिवादीगण के खिलाफ, प्रतिवादी काउण्टर क्लेम नहीं ला सकते हैं। क्यों कि प्रतिवादी संख्या 02 भोलाराम व प्रतिवादी संख्या 14 भंवरीदेवी पुत्र घेवरराम के द्वारा पेश किया गया हैं जो काउण्टर क्लेम प्रतिवादी, प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया हैं, जिस बाबत् प्रतिवादी संख्या 14 भंवरीदेवी घेवरराम की पुत्री होकर पेश किया गया हैं जबकि दावे मे प्रस्तुत सजरे के अनुसार धूलाराम के तीन पुत्र होना मंगलाराम, बालू, भोला अंकित एवं दावे के जबाव दावे में चार पुत्र मंगलाराम, बालूराम, भोलाराम, घेवरराम अंकित हैं एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 14 के काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 01 की ओर जबाव में अंकित किया कि भंवराई को गलत पक्षकार बनाया गया हैं, वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी भंवराई की संयुक्त हिन्दु परिवार की वादग्रस्त सम्पति नहीं हैं। ना ही भंवराई अन्य हिन्दू परिवार की सदस्य हैं भंवराई घेवरराम की पुत्री नही हैं। घेवरजी की मृत्यु देश आजाद होने के पूर्व 1947 के पूर्व ही हो गई थी। घेवरजी के कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई थी और वो ना औलाद फौत हुये थे, भंवरीदेवी ने किसी भी प्रकार का घेवरजी की पुत्री होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, ना ही किसी प्रकार का वोटर आईडी, ना ही राशनकार्ड पेश किया जिससे साबित हो सके कि घेवरजी की पुत्री हैं केवल मात्र मालाकार समाज का प्रमाण पत्र दिनांक 10.03.2024 को पेश किया हैं जिसमें पोतीजी का सजरा बना हुआ है। जिसमें घेवरजी के पुत्री भंवरीदेवी अंकित हैं इसी प्रकार ग्राम पंचायत बर का प्रमाण पत्र दिनांक 03.07.2013 का पेश किया, उसमें भी न तो घेवरजी की मृत्यु कब हुई हैं, अंकित नहीं हैं। केवल सजरे में घेवरजी को फौत बनाकर भंवरीदेवी पुत्री अंकित है जो भी अनरजिस्टर्ड हैं। भंवरीदेवी घेवरराम की पुत्री नहीं हैं, ऐसा कथन बालूराम पुत्र धूलाजी जाति माली निवासी बर ने अपने शपथपत्र में दिये गये जबावदावे में किया हैं, इस प्रकार भंवरीदेवी का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं आता हैं, प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि बेचान की गई हैं अन्य बेचान रजिस्टर्ड दस्तावेजो को आज दिन तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई हैं ना ही निरस्त करवाया हैं। अन्य वादग्रस्त भूमि में तीनो भाईयों का नाम ही शूरू से मंगलाराम, बालूराम व भोलाराम का नाम चला आ रहा हैं जो जमाबंदी ग्राम बर संवत् 2065–68 व ग्राम मेघडदा की जमाबंदी संवत् 2067–70 से

गुलाब सिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (व्यावर)

साबित है कि अन्य वादग्रस्त भूमि पर शूरू से ही ये तीनों ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। क्योंकि धूलारामजी ने दिनांक 15.12.74 को ही अपने इकरारनामा लिखित रूपी वसीयत से ही अन्य तमाम वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा तीनो पुत्रों मंगलाराम, भोलाराम, बालूराम के बीच कर दिया जो लगातार बिना किसी रोक–टोक के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जिसका आज दिन तक किसी ने विरोध नहीं किया । अन्य वसीयत रूपी इकरारनामा 15.12.74 को किया गया है। जिस पर रेवेन्यू टिकट पर धूलाराम ने अपना अंगूठा निशानी किये हैं। प्रतिवादी संख्या 14 भंवराई का वादग्रस्त भूमि न तो हिस्सा हैं, ना ही कब्जा हैं।

प्रतिवादीगण भंवरीदेवी द्वारा गलत रूप से काउण्टर क्लेम पेश किये जाने एवं रजिस्टर्ड वारिसान प्रमाण पत्र पेश नहीं किये जाने से तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को सक्षम न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 06 सीपीसी को स्वतंत्र वाद के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, इस वाद में दर्ज नहीं किया जा सकता हैं। प्रतिवादीगण का इन्टरप्लीटर सूट नहीं माना जा सकता है, प्रतिवादीगण अलग से दावा पेश कर सकते हैं। अतः उभयपक्ष बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन के पश्चात् प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पोषणीय पाया जाने से स्वीकार किया जाना एंव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने से काउण्टर क्लेम खारिज जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पोषणीय पाया जाने से स्वीकार किया जाता है एंव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने से काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

उक्त आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)